राजनैतिक भ्रष्टाचार : लोकतंत्र के लिए बढ़ता खतरा

डॉ0 सुमन*

जब कोई व्यक्ति और संस्था मानक नियमों के विरूद्ध जाकर अपने व्यक्तिगत और संस्थागत हित के लिए गलत आचरण करता है तो वह कार्य भ्रष्ट कार्य कहलाता है। यह कई प्रकार का हो सकता है जिसमें रिश्वत, चुनाव में धांधली, सेक्स के बदले पक्षपात, हफ्ता वसूली, जबरन चंदा लेना, अपने विरोधियों को दबाने के लिए, सरकारी कार्यालयों और प्रभावों को दुरूपयोग करना, न्यायधीशों द्वारा गलत या पक्षपातपूर्ण निर्णय आदि प्रमुख रूप से भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। हम सभी जानते है हमारी राजनैतिक व्यवस्था में भ्रष्ट कौन है? भ्रष्टता इतनी तीव्रता से क्यों फैल रही है? फिर भी हम उन्हें चुनते हैं। क्या यह हमारे समाज की राजनीतिक मजबूरी है? अथवा अशिक्षा एवं अतार्किकता; जिससे हम सभी में दूरदर्शिता का अभाव है? या हम अपनी कुशलता और उद्यमिता को नया आयाम नही देना चाहते? राजनैतिक भ्रष्टाचार की अवधारणा कोई नई अवधारणा नही है। यह प्राचीन काल के राजतंत्र से आधुनिक काल के प्रजातंत्र में गहराई से व्याप्त है। तो क्या इसकी व्यापकता को स्वीकारते हुए यह यह मान लेना चाहिए कि अपराध और भ्रष्टाचार भारतीय जन–मानस के अनुवांशिकी (जीन) का हिस्सा बन चुका है?

घोटालों और भ्रष्टाचार की बानगी यह है कि देश में भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, नक्सलवाद, आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं की कमी, आंतकवाद, और हिंसात्मक आंदोलन आदि समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही है। घोटालों का आलम यह है कि जाँच ऐजेसिंयाँ जब तक किसी घोटाले की जाँच शुरू कर तह तक पहुँचने की कोशिश करती हैं, दूसरा बड़ा घोटला सामने आ जाता है। क्या साहब? क्या बंदे? सभी भ्रष्टाचार की पकड़ में समा चुके हैं। तो क्या भ्रष्टाचार विशेषतः राजनीतिक भ्रष्टाचार को 'राष्ट्रीय असाध्य रोग' मान लेना चाहिए जो एड्स, कैंसर आादि जैसी लाइलाज बीमारी है अथवा नागरिकों एवं समाज का सुविधाभोगी एवं न्यूक्लियर जीवन व्यतीत करने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है?

भ्रष्टाचार के कारण देश कंगाल होता जा रहा है। आर्थिक महाशक्ति बनने में भी बड़ा अवरोध साबित हो रहा है। इससे हर वर्ष अर्थव्यवस्था को करोड़ों रूपये की चपत लगती है। सेना, न्यायपालिका और खुफिया जैसे अपेक्षाकृत साफ–सुथरे और दाग रहित संस्थानों में भी भ्रष्टाचार की नई प्रवृत्ति ने आम आदमी को अचंभित किया हैं। भ्रष्टाचार सूचकांक जो ट्रांसपरेंसी इण्टरनेशनल द्वारा जारी की जाती है। उसमें भी हमारा देश सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में शुमार है। साल दर साल स्थिति सुधरने की बजाय स्थिति और बिगड़ती जा रही है। यदि हम इन आँकड़ों का विश्लेषण करें तो देखते है कि सन् 2001 में जो रैंक 71 तथा स्कोर 2.7 (99 देशों में) था उसमें निरन्तर बढ़ोत्तरी के साथ सन् 2016 में 3.3 स्कोर के साथ 178 देशों में 79 रैंक दिया गया है। यह आँकड़े कितनी भयावह स्थिति दर्शाते हैं। इस तालिका से दृष्टिगोचर होता है–

वर्ष	रैंक
2007	72
2008	85
2009	84
2010	87
2011	95
2012	94
2013	94
2014	85
2015	76
2016	79

https://tradingeconomics.com/india/corruption-rank

* एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, आर0जी0 (पी0जी0) कॉलेज, मेरठ

दूसरी ओर साल–दर–साल सतर्कता एवं जाँच विभागों जैसे कैग (कम्पट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल), केन्द्रीय जाँच ब्यूरों, केन्द्रिय सतर्कता आयोग तथा राज्य सरकारों के जाँच आयोग द्वारा विजिलेंस मामलें निम्नलिखित हैं–

केन्द्रिय सतर्कता आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतें (2012–2016)

वर्ष	सी0 वी0 सी0
2012	37039
2013	31432
2014	62362
2015	29838
2016	49847

स्रोत– केन्द्रिय सतर्कता आयोग का प्रतिवेदन–2017

उपर्युक्त आँकड़ों को विश्लेषण करने से पता लगता है कि केन्द्रिय सतर्कता आयोग द्वारा रजिस्टर्ड मामलों की संख्या सन् 2000 की अपेक्षा कम हुई है परन्तु घोटालों की राशि की मात्रा में सैकड़ों करोड़ों से हजारों करोड़ों तथा लाखों करोड़ों में बढ़ोत्तरी हुई है। सन् 2012 में ऐसे राज्यों में 37039 मामले दर्ज थे जो 2016 में बढ़कर 49847 बढ़ गई जिसका दर लगभग 34.57 प्रतिशत है, जबकि सन् 2012 से 2017 तक भारत की (जी. डी. पी.) सकल घरेलू उत्पाद 6 से 8 प्रतिशत के बीच रह रहा है अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही हैं।

जबसे आम आदमी के सरकारों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी सफलता की कुंजी बनाया है। गरीबों की राजनीति में पहले यू0 पी0 ए0 सरकार अब एन0 डी0 ए0 सरकार का स्पष्ट एजेण्डा है। यद्यपि गरीबी, गरीब, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हिन्दु–मुस्लिम, संप्रदायवाद, बेरोजगारी, आरक्षण, एवं विकास, आदि, ऐसे मुद्दे जो सभी राजनैतिक दल अपने चुनावी घोषणा–पत्र में प्राथमिक वरीयता पर रखते हैं और इन मुद्दों को अपने लिए घोटालों का जरिया बनाते हैं। घोटालों के मामले जो कि 2016 में केन्द्रिय सतर्कता आयोग द्वारा दर्ज किए गए ऑकड़ों का तालिका में यही जाँचने का प्रयास है–

वर्ष 2016 में केन्द्रिय सतर्कता आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतें और उनका निराकरण

वर्ष	सी0 वी0 सी0
वर्ष 2015 से लाए गए शिकायतें	1360
वर्ष 2016 में दर्जे किए गए शिकायतें	49847
कुल योग	**51207**
निपटाए गए मामलों कि संख्या, जिसमें से	48764
अ. अस्पष्ट/छद्म नामीय दर्ज किए गए मामले	540
ब. अज्ञात दर्ज किए गए मामले	36293
स. केन्द्रिय सतर्कता आयोग कार्यालय के अधीन न आने वाले शिकायतें जो कि आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित	11845
द. सी0 वी0 वो0/सी0 बी0 आई0 को जाँच के लिए भेजा गया	86
कुल अग्रेषित शिकायतें वर्ष 2017 के लिए के लिए	**2443**

यू0 पी0 ए0 सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा देश के गरीबों का सही आँकड़ा जानने की योजना है, सितम्बर, 2010 में शुरू की गई है। 'मनरेगा', 'मिड–डे–मिल' एवं अन्य योजनाओं की भाँति ही इस योजना के लिए आँकड़े एकत्र करने में गरीबों की वास्तविक संख्या भले न प्राप्त हो सके लेकिन भ्रष्टाचार की आवृत्ति को देखते हुए कहा जा सकता है कि गरीबों का सही आँकड़ा जानने की योजना में एक और घोटाला उजागर हो सकता है।

आजाद भारत के राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास में कुछ वृहद आकार के घोटाले हुए हैं जिसमें सामान्य भारतीय नागरिकों के मध्य भ्रष्टाचार के विषय पर बहस करने के लिए मजबूर किया है इसमें से कुछ चर्चित भ्रष्टाचार के उदाहरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है–

क्रमसं0	घोटाले का नाम	वर्ष	अनुमानित धनराशि (रू0 करोड़ में)
1	जीप घोटाला	1948	0.80
2	बोफोर्स (तोप) घोटाला	1990	64
3	पामोलिन घोटाला (पाम ऑयल)	1991–92	76
4	पशुपालन घोटाला	1990	उपलब्ध नही
5	हर्षद मेहता (प्रतिभूति) घोटाला	1993	4100
6	दूर संचार घोटाला	1996	उपलब्ध नही
7	सी0 आर0 बी0 घोटाला	1996	1031
8	चारा घोटाला	1996	उपलब्ध नही
9	युनिट ट्रस्ट का यु0एस0–64 स्कैंडल	2000	3300
10	केतन पारेख स्कैंडल	2001	3800
11	बराक मिसाईल डील स्कैंडल	2001	उपलब्ध नही
12	तहलका स्कैंडल	2001	उपलब्ध नही
13	तेलगी (स्टाम्प पेपर) घोटाला	2003	उपलब्ध नही
14	कैश फॉर वोट स्कैंडल	2007	100
15	चीनी घोटाला	2007	2500
16	चावल घोटाला	2008	270
17	सत्यम कम्प्यूटर घोटाला	2008	7136
18	सकारी खजाने का दुरूपयोग (बिहार राज्य)	2002–08	11412
19	कामनवेल्थ गेम्स घोटाला	2010	7000
20	2जी–स्पेक्ट्रम घोटाला	2010	176645
21	एल0 आई0 सी0 हाऊसिंग ऋण घोटाला	2010	उपलब्ध नही
22	तेल के बदले अनाज घोटाला	2005	उपलब्ध नही
23	काले धन का सफेद करना (मधु कोड़ा)	2010	4000
24	व्यापम घेटाला	2009	उपलब्ध नही
	सकल योग		**221434.80**

इसके अतिरिक्त 66 अरब रूपये स्विस बैंक में जमा देश की धनराशि है। ग्लोबल फाइनेन्सियल इंटीग्रिटी के अनुसार 2008 तक 9.6 लाख करोड़ रूपये अवैध तरीकों से भेजी गई है। मैने इन सभी घोटालों के सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभावों का विश्लेषण किया है।

अपने शोध–पत्र के माध्यम से मैने इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढुंढ़ने का प्रयास किया हैं। आजादी के बाद देश में 1950–2017 के बीच समाजवाद से प्रेरित नीतियाँ लागू की गई। इसके तहत अर्थव्यवस्था को मजबूती से नियंत्रण में रखा गया। समाजवाद के तहत मिश्रित–अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास हुआ जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग अर्थात् पूँजीपति, मध्य आय–वर्ग तथा कारीगर तथा मजदूर–वर्ग के लिए आर्थिक विकास के अवसर मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू कर प्रदान किए गए। लेकिन समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकतानुसार अवसर की उपलब्धता कराते–कराते संरक्षणवाद को बढ़ावा मिला और इसी दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को पोषित एवं पल्लवित किया गया। परिणामतः लाइसेंस राज का उदय हुआ; जिससे आर्थिक वृद्धि एवं विकास मंद पड़ा और भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा।

'लाइसेंस राज' पूँजीपतियों के लिए ऐसा अवसर प्राप्त हुआ जो समाजवाद के नाम पर पूँजीवाद को स्थापित किया और जो पूँजीपति अपने धन के बल पर सरकारों से अपने लाभ के लिए काम कराए जिसके बदले में सरकार की पार्टीयों को चुनाव लड़ने, सुविधा भोगने के लिए घूस देने की प्रथा बढ़ी।

भारतीय राजनीति में राजनेताओं ने सामान्य नागरिकों के लिए ऐसे सौतेली माँ की भूमिका निर्वाह की है जो अपने सौतेले बच्चे को इस प्रकार प्यार करने का दिखावा करती है, कि बच्चा यह समझता है कि माँ उसे बहुत प्यार कर रही है जबकि वह सौतेली माँ उसे लाड़–प्यार के ढ़ोग में अपने सौतेले बच्चे को विकलांग बनाना चाहती है। इस आशय में एक कहानी का वर्णन करना चाहेंगे। **''एक सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चे को हमेशा गोद में लिए रहती थी, समाज के लोग इस व्यवहार को देखकर उसे बहुत अच्छी–भली समझते थे और उसकी प्रशंसा करते रहते थे। एक दिन उसकी सहेली जो उससे बहुत दूर रहती थी, इस बात की चर्चा को सुनकर उससे मिलने आई तो उसने भी देखा बच्चा उसकी गोद में सो रहा था। यह देखकर उसने अपनी सहेली से पूछा क्या बात है जो तुम इसे इतना प्यार करती हो? तब उसकी सहेली ने जवाब दिया, नही रे पगली! मैं तो इसे इतना अधिक गोद में इसलिए फिरती हूँ कि वह अपने पैरों पर खड़ा न हो सके ताकि उसे हमेशा मेरी आवश्यकता महसूस हो तथा मेरा विरोध भी न कर सके।''** भारतीय राजनीति में राजनेता भी जनता से इसी प्रकार की सौतेली माँ जैसी व्यवहार करते है।

अफसरशाहीः–

ट्रांसपरेसी इंटरनेशनल के प्रतिवेदन, 2017 के अनुसार देश के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को सरकारी दफतरों में अपना काम कराने के लिए रिश्वत् देना या प्रभाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिसका मात्र इस आँकड़े से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष देश के ट्रक वाले लगभग 250 करोड़ रूपये घूस देते हैं।

भूमि और सम्पत्तिः–

अधिकारी राज्य की सम्पत्ति को चुरा लेते हैं। बिहार में 80 प्रतिशत से अधिक रियायती दरों पर गरीबों को दी जाने वाली खाद्य सहायता चुरा ली जाती है। भुःमाफियाओं, राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों, ने भवन निर्माण कम्पनियों की मदद से अवैध तरीकों से भूमि का अधिग्रहण कर उसको गैरकानूनी ढ़ग से बेच देते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण, अलीगढ़ का टप्पल गाँव तथा मुम्बई का आदर्श सोसायटी घोटाला है। यह अफसरशाही का ही नतीजा है, जो किसानों से भूमि अधिग्रहण कर लेते हैं और उसका मुआवजा देने में कई वर्ष लगा देते हैं, इसके लिए किसान आगजनी तथा तोड़–फोड़ करते है, जिससे राष्ट्र की सार्वजनिक सम्पत्तियों का नुकसान होता है।

सरकारी कार्यों को सम्पन्न करने के लिए इन्हीं अफसरों द्वारा टेंण्डर एवं कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसमें सम्बन्धित मंत्रालय से लेकर अधीनस्थ अधिकारियों के कमीशन तय हो जाते हैं, जो ठेकेदार कमीशन तथा घूस की रकम अधिक देते हैं; ''टेण्डर और कॉन्ट्रैक्ट'', उन्हें ही दिया जाता है। इसके बाद ठेकेदार अपने कार्य को मनमाने तथा टेण्डर और कॉन्ट्रैक्ट के लिए तयशुदा मानकों की धज्जियाँ उड़ाते हुए कार्य सम्पन्न कर देते हैं। अगुणवत्तापूर्ण कार्य होने के कारण इन निर्माण कार्य में टिकाऊपन कम होता है। परिणामतः इन कार्यों को पुनः कराने पड़ते हैं, और फिर टेण्डर प्रक्रिया के तहत कमीशनखोरी एवं घूसखोरी होती है।

न्यायपालिका

भारतीय न्यायिक प्रणाली अत्यधिक जटिल प्रणाली है। यहाँ स्थानीय ग्राम पंचायत से लेकर उच्चतम् न्यायलय का प्रावधान है। वादी न्याय से सन्तुष्ट न होने पर प्रत्येक न्यायायिक स्तरों पर सुनवाई के लिए तथा न्याय प्राप्त करने के लिए अपील कर सकता है और इस न्याय प्रणाली जैसे तहसील से लेकर उच्चतम् न्यायालय के वकीलों, न्यायालय कर्मियों तथा न्यायधीशों को घूस देकर न्याय अपने पक्ष में कराया जाता है। इसका उदाहरण भारत के कुछ विख्यात वकील भी है जिनमें राम जेठ मलानी, जैन हवाव केस, हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, आर्यमा सुंदरम्, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकेश अंबानी का गैस विवाद अनिल अंबानी, हल्दिया पट्रोकेमिकल्स, नवीन जिंदल के तिरंगा फराने के केस, अरविंद दातार, सतीश मानेशिंदे, माजिद मेमन, वोडाफोन का आयकर मामला, याकूब का मुम्बई काण्ड है, जिनका एक

दिन का शुल्क 5 लाख से 25 लाख रूपये तक है।[1] ट्रांसपरेसी इण्टरनेशनल के मुताबिक मुकदमों के निपटारे में होने वाली देरी जटिल न्यायिक प्रक्रिया और जजों की कमी के कारण न्यायिक तंत्र में भ्रष्टाचार पनप रहा है।

सेना में भ्रष्टाचार

सेना में भ्रष्टाचार अचंभित करता है चाहे वह सैनिकों के भर्ती से संबधित हो या सेना की सुकना भूमि घोटाला, खाद्य एवं रशद आदि से जुड़े मामले हो, समय–समय पर सैन्य अधिकारियों पर भी आरोप लगे हैं तथा उन पर आरोप तय भी हुए हैं।

सेना के पास देश भर में 17.3 लाख एकड़ जमीन है[2]– यह क्षेत्रफल दो गोवा या चार दिल्ली के बराबर है। इसमें से 11000 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है जिसमें से 2948 एकड़ जमीन उत्तर–प्रदेश तथा 100 एकड़ जमीन दिल्ली में अतिक्रमण कर लिया गया है जिसका वर्तमान मुल्य लगभग 12 अरब, 93 करोड़ 89 लाख रूपये के बराबर है। इस समस्या को समझने के लिए निम्नलिखित तालिका को प्रस्तुत किया गया है–

भारतीय दण्ड़ संहिता (आई पी सी), विशेष और स्थानिय कानून के तहत कुल संज्ञेय अपराधों की दर्ज की गई रिपोर्ट वर्ष – 2005 से 2015

क्रम संख्या	वर्ष	वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	दर्ज की गई रिपोर्ट			दर्ज की गई रिपोर्ट			कुल उपलब्ध अपराधों में आई पी सी अपराधों की प्रतिशत
			आई पी सी	एस एल एल	कुल योग	आई पी सी	एस एल एल	कुल योग	
1	2005	11027.9	1822602	3203735	5026337	165.3	290.5	455.8	36.3
2	2006	11197.8	1878293	3224167	5102460	167.7	287.9	455.7	36.8
3	2007	11365.5	1989673	3743734	5733407	175.1	329.4	504.5	34.7
4	2008	11531.3	2093379	3844725	5938104	181.5	333.4	515.0	35.3
5	2009	11694.4	11694.4	4553872	6675217	181.4	389.4	570.8	31.8
6	2010	11857.6	2224831	4525917	6750748	187.6	381.7	569.3	33.0
7	2011	12101.9	2325575	3927154	6252729	192.2	324.5	516.7	37.2
8	2012	12133.7	2387188	3654371	6041559	196.7	301.2	497.9	39.5
9	2013	12287.8	2647722	3992656	6640378	215.5	324.9	540.4	39.9
10	2014	12440.4	2851563	4377630	7229193	229.2	351.9	581.1	39.4
11	2015	12591.1	2949400	4376699	7326099	234.2	347.6	581.8	40.3
प्रतिशत में बदलाव 2005 से 2015			**14.2**	**61.8**	**36.6**	**45.8**	**41.7**	**19.7**	**27.6**	**11.0**
अपराधों संयुक्त विकास दर प्रति वर्ष			**1.3**	**4.9**	**2.5**	**3.4**	**3.5**	**1.2**	**2.0**	**1.5**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ष भारतीय दण्ड़ संहिता (आई पी सी) की धाराओं में भी अपराधों में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है। जिससे यह तथ्य प्रकट होता है कि आंतरिक सुरक्षा का मामला और भयावह स्थिति प्रकट करता है।

सार्वजनिक जीवन में भ्रष्ठाचार

भ्रष्टाचार के मामले में भारत की एक नई तस्वीर सामने आई है। पिछले साल यहां हर दूसरे व्यक्ति ने अपना काम कराने के लिए अधिकारियों को रिश्वत दी। यही नही सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकारी संस्थान पुलिस है। जबकि इनके ऊपर सबसे अधिक आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। अंतर्राष्ट्रीय ''भ्रष्टाचार निरोधी दिवस'' पर गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। छोटे मोटे स्तर पर घूस देने का यह सर्वेक्षण 86 देशों में 91 हजार लोगों पर किया गया।

'2017 करप्शन बैरोमीटर' नामक सर्वेक्षण के मुताबिक पिछले साल हर चौथे आदमी ने नौ संस्थानों में एक में काम करवाने के लिए घूस दी। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आयकर अधिकारी शामिल हैं। रिश्वत लेने के मामले में पुलिस सबसे अग्रणी है। सर्वेक्षण के अनुसार करीब 29 प्रतिशत लोगों ने पुलिस को घूस दी। सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में उप–सहारा अफ्रीकी क्षेत्र के देशों में घूस देने की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। जहाँ हर दो में से एक ने अधिकारियों को घूस देने की बातें स्वीकारी। मध्य–पूर्व और उत्तर अफ्रीका दूसरे सबसे ज्यादा भ्रष्ट इलाके हैं। यहाँ पर करीब 36 फीसदी लोगों ने घूस देना स्वीकारा। इसके बाद सोवियत संघ (32 प्रतिशत), दक्षिण अमेरिका (23 प्रतिशत), तुर्की और बाल्कन (दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश) (19 प्रतिशत), एशिया प्रशांत क्षेत्र (11 प्रतिशत) और यूरोपीय संघ और उत्तर अमेरिका (पाँच प्रतिशत) का नाम आता है। देशों के मामले में अफगानिस्तान, कंबोडिया, कैमरून, भारत, इराक, लाइबेरिया, नाइजीरिया, फिलीस्तीन, सेनेगल, सियरा लियोन और युगांडा शीर्ष पर है। यहाँ आधे से अधिक लोगों ने मुश्किलों से बचने और एक चौथाई ने काम में तेजी लाने के लिए रिश्वत् दी। मजेदार बात यह है कि कम आय वाले लोगों ने बेहतर आय वाले लोगों के मुकाबले अधिक रिश्वत देने की बात कही है। गौरतलब है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2003 से भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट जारी कर रही है। यह उसकी सातवीं रिपोर्ट हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाने का फैसला किया था।

लोकतंत्र के लिए बढ़ते खतरों के कारण

1. राजनैतिक पार्टियो द्वारा रिश्वत् देकर नैतिक एवं अनैतिक कार्य आसानी से कराए जा सकते हैं और यह किसी भी प्रकार का हो सकता है।
2. सड़कों के चौराहे पर पुलिस जो वाहनों की गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं उन्हें घुस देकर बिना किसी निरीक्षण के वाहनों को पास कराया जा सकता है। ऐसे में क्या आतंकी वस्तुएं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा सकता है।
3. यदि राष्ट्र के शीर्ष नेताओं के भष्ट्राचार एवं रिश्वतखोरी की गतिविधियाँ ऐसी ही रहीं तो लिबिया, मिश्र आदि राष्ट्रों की भाँति व्यापक आन्दोलन तथा गृह युद्ध की सम्भावना बढ़ती है जो राष्ट्र हित में नही हो सकता ।
4. जातिगत एवं स्वार्थगत राजनिति उदाहरणार्थ राजस्थान की बैंसला द्वारा प्रायोजित गुर्जर आरक्षण आंदोलन, यू0 पी0 एव हरियाणा में यशपाल मलिक द्वारा प्रायोजित जाट आरक्षण आंदोलन आदि ऐसे उदाहरण हैं जिससे सामान्य नागरिकों तथा सामाजिक दबाव समूहों, संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों में एकता का अभाव उत्पन्न करता है, जिससे शासकों, प्रशासकों तथा नीति नियामक संस्थाओं के कर्ताधर्ता को दबाव में काम करने का भय नही रहता है और जिस प्रकार से वे कार्य करना चाहते हैं उसी प्रकार से कार्य करते हैं।
5. रिश्वत देकर सरकारी नौकरियों में विशेषकर सिपाही एवं सैनिकों की भर्ती करने के बाद उनसे सुरक्षा की कैसी उम्मीद रखी जा सकती है?

सुझाव

1. शिक्षा का प्रभावी विकास एवं व्यापक सुधार विशेषकर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में।
2. कानून–व्यवस्था एवं न्यायायिक प्रणाली में न्यायधीशों की भर्ती ओर न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार।

संदर्भ :

1. इण्डिया टुडे 15 दिसम्बर, 2010।
2. इण्डिया टूडे, 5 जनवरी, 2011 पृ0 सं0 37।
3. '2010 करप्शन बैरोमीटर' नामक सर्वेक्षण का प्रतिवेदन।
4. दैनिक जागरण 10 दिसम्बर, 2010।
5. राम आहुजा, सामाजिक समस्याऐं, 2009।
6. सूज़न रोज़-एकरमैन (1999), करप्शन ऐंड गवर्नमेंट : कॉजिज़, कांसिक्वेंसिज़, ऐंड रिफ़ॉर्म, केम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, केम्ब्रिज.-2015